नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
मुख्य वास्तुविद् नगर निगम, लखनऊ। संख्या..121../मु0वा0/24 दिनांक ...8/10/24............	अधिशासी अभियन्ता–मा0 सेल लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–प्रस्तुत भवन मानचित्र श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0–790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0–784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र सं0–एलडीए/बीपी/ 21–22/2499/एनओसी, दिनांक–22.01.2022 के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

प्रस्तुत भवन मानचित्र श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0–790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0–784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ । लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र सं0–एलडीए/बीपी/21–22/2499/ एनओसी, दिनांक–22.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नगर निगम स्तर पर परीक्षणोपरान्त प्रभावी निम्नांकित शुल्क धनराशि हेतु जारी मांग पत्र संख्या–75/मु0वा0/24, दिनांक–07.10.2024 के क्रम में प्रार्थी द्वारा नगर निगम कोष में शुल्क धनराशि जमा करा दी गई है।

जोन	अनापत्ति निम्न शर्तो के साथ दी जा रही है:–
जोन–8 वार्ड–इब्राहिम पुर–प्रथम भूखण्ड का क्षेत्रफल 16489.89 वर्ग मीटर	1– भवन निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा। 2– नगर निगम की भूमि सम्पत्ति, फुटपाथ नाला, नाली, सड़क इत्यादि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जायेगा। 3– भवन निर्माण हेतु सामग्री से कोई यातायात प्रभावित नहीं करेगें। 4– भवन निर्माण सामग्री के अवशेष का निस्तारण सी एण्ड डी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्राविधानों के तहत किया जाएगा। 5– भवन निर्माण के समय यदि फुटपाथ, सड़क, नाली इत्यादि पर यदि कोई टूट–फूट होती है तो इसका निर्माण भवन स्वामी द्वारा किया जायेगा। 6– यह एनओसी मात्र इस आषय की है कि उक्त भूमि में नगर निगम की कोई सम्पत्ति नही है। स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद आदि होने से नगर निगम का कोई संबंध नही होगा। 7– यदि भविष्य में कहीं से भी यह तथ्य प्रकाष में आता है कि प्रश्नगत भूमि नगर निगम की सम्पत्ति है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा प्रष्नगत भूमि नगर निगम में निहित मानी जाएगी। 8– नगर निगम द्वारा इस शर्त पर एनओसी दी जा रही है कि भूमि के सम्बन्ध में नगर निगम को मात्र अनुरक्षण/प्रबंधन का अधिकार है। भूमि का स्वामित्व राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में है। पत्र सं0–आर–520/पी0एस0/अध्यक्ष–राजस्व संहिता/राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ के दिनांक–30.08.2024 द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गयी है कि भूमि मूलतः राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन होती है। अतः एलडीए अपने स्तर से संलग्न ले–आउट तथा भूमि विवरण स्वामित्व आदि का तथा सरकारी भूमि आदि के संबंध में परीक्षण संबंधित तहसील के राजस्व विभाग से भी करा ले। 9– अवस्थापना सुविधाओं का विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	अम्बार शुल्क		सुदृढीकरण /निरीक्षण शुल्क		कुल धनांक
	रसीद सं0 व दिनांक	धनांक	रसीद सं0 दिनांक	धनांक	
52,976.00 वर्ग मी0	शासनादेशानुसार छूट प्रदान की गयी।	–	27810/27 दिनांक 08.10.2024	रू0 1,01,71,392/– रू0 10,59,520/– 1,12,30,912.00/– (रू0 एक करोड बारह लाख तीस हजार नौ सौ बारह मात्र)	रू0 1,12,30,912.00/– (रू0 एक करोड बारह लाख तीस हजार नौ सौ बारह मात्र)

सम्पत्ति विभाग की आख्या दिनांक 25.09.2024 जोनल अधिकारी की आख्या 05.10.2024 अभियन्त्रण विभाग की आख्या दिनांक 07.10.2024 तथा अपर नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.10.2024 के अनुपालन में प्रार्थी को 52,976.00 वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल की अनापत्ति प्रदान किये जानें में नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है। यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण से उक्त मानचित्र/भूमि के स्वामित्व/अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवतर्धन होने के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि या कोई नवीन तथ्य प्रका"ा में आने की स्थिति में नगर निगम की पुनः अनापत्ति आवश्यक होगी।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रतिलिपि–1 – श्री मनोज सिंह चौहान डेवलपर्स मेसर्स ओरो रियल इन्फ्रा एल0एल0पी0 द्वारा समूह आवास खसरा सं0–790, 791, 792ख, 864, 866, 867 पार्ट आफ लैण्ड खसरा नं0–784 स्थित ग्राम सरसवां तहसील–सरोजनी नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वास्तुविद्
नगर निगम लखनऊ।

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता–अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता–मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांकः–234/ए0सी0/प्र0/2024 दिनांक 01-3-.2024

विषयः–मनोज सिंह चौहान खसरा संख्या–784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम–सरसंवा लखनऊ पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल के पत्रांक संख्या–एल0डी0ए0/बी0पी0/21–22/2499/एन0ओ0सी0 दिनांक 22.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा संख्या–784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम–सरसंवा लखनऊ पर प्रस्तावित मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि अर्जन अनुभाग के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या–784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम–सरसंवा लखनऊ का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान समय में नही किया गया है, परन्तु महायोजना–2031 के अंतर्गत स्थित है।

26/2/24
(अभिषेक निषाद)
अमीन

26/2/24
(महेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुभाग अधिकारी

26/02/24
(के0पी0 गुप्ता)
सहायक अभियन्ता–अर्जन

प्रतिलिपिः–श्री मनोज सिंह चौहान खसरा संख्या–784(पार्ट), 790(पार्ट), 791(पार्ट), 792ख, 864, 866 व 867 ग्राम–सरसंवा लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, **आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट,** लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, गोमती नगर लखनऊ। संख्या– 1068/ल०वि०प्र/24 दिनांक– 13-08-2024	सेवा में, **श्री मनोज सिंह चौहान** पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह, पता–5/566, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय–भू–उपयोग प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लखनऊ विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र ऑनलाइन आवेदन संख्या–LDA/BP/21-21/2499 के सापेक्ष भू–उपयोग प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.08.2024 एवं संलग्न अभिलेख/प्रपत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार प्रश्नगत स्थल खसरा संख्या 784P, 790P, 791P एवं 792P (क्षेत्रफल 9502.00वर्गमी0) स्थित ग्राम सरसवां, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ का प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत भू–उपयोग प्रमाण पत्र चाहा गया है। सन्दर्भित स्थल के क्षेत्रफल के आधार पर आगणित भू–उपयोग सूचना संबंधी शुल्क चालान संख्या 100493203 दिनांक 02.08.2024 के द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए चालान की प्रति उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 के साथ उपलब्ध करायी गयी है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र में दर्शित की–प्लान में अंकित दूरियों के अनुसार कथित स्थल अहिमामऊ चौराहे से पश्चिम दिशा की ओर 1136.44मी0 की दूरी के उपरान्त महायोजना मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 (सन्शोधित कन्वर्जन) के अनुसार कथित स्थल के सम्मुख स्थित मार्ग की चौडाई 76.0मी0 है, जिसके अनुसार मार्ग के मध्य से 38.00 मी0 दूरी तक सडकविस्तार/मार्गाधिकार क्षेत्र छोडने के उपरान्त अवशेष स्थल का भू–उपयोग प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 (सन्शोधित कन्वर्जन) में आवासीय अंकित है।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का तलपट मानचित्र यदि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है तो सन्दर्भित स्थल का भू–उपयोग उक्त तलपट मानचित्र के अनुरूप अनुमन्य होगा एवं उक्त भू–उपयोग की जानकारी इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/नदी/नाला/ नहर/जलाशय/वन/चकरोड/नाली का भू–उपयोग महायोजना मानचित्र में अन्य किसी भू–उपयोग के अन्तर्गत अंकित किया गया हो तब भी उसका भू–उपयोग तालाब/नदी/नाला/नहर/ जलाशय/वन/चकरोड/नाली माना जायेगा।

उपरोक्त सूचना इस शर्त के साथ प्रेषित है कि आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में (प्रश्नगत स्थल के सापेक्ष) दर्शित की–प्लान/साइट प्लान व नजरी–नक्शे में अंकित दूरियों एवं उपर्युक्त वर्णित दूरियों में किसी प्रकार की असमानता/भिन्नता हुई तो उक्त सूचना निरस्त मानी जायेगी। इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि यदि आप द्वारा विकास प्राधिकरण में भविष्य में मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है तो भू–उपयोग प्रमाण पत्र पृथक से प्राप्त किया जाना होगा।

भवदीय

Singh

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. मुख्य नगर नियोजक महोदय को अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता–नियोजन को सूचनार्थ प्रेषित।

आर्च कम प्लानिंग असिस्टेन्ट

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/127451/LCK/LUCKNOW/6093/JD
दिनांक:07-08-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA . 784P 790P 791P 792 KHA P VILLAGE SARASWAN,SULTANPUR ROAD,LUCKNOW** तहसील - **SAROJINI NAGAR** प्लाट एरिया **9502.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **37878.51** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A	26	2	86.10 mt.
TOWER B	27	2	89.40 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **ORO REAL INFRA LLP** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भोतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाऐ उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्धधीन नियमावली-2024 NBC-2016 के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओ के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है |"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Aman Sharma)
[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]
17-08-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 17-08-2024
स्थान : LUCKNOW

श्रीमानजी।

संलग्न पत्रांक सं०- LDA/BP/21-22/2499/NOC, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ, दिनांक :- 22 जनवरी 2022, जो कि ग्राम सरसवां की गाटा संख्या- 783, 784, 790, 791, 792ख 864, 866, 867 आदि, आवेदक- मनोज सिंह चौहान के आवेदन बाबत ग्रुप हाउसिंग योजना के मानचित्र की आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, की जाँच की गयी। जाँचोपरान्त आख्या निम्नवत् है :-

ग्राम- सरसवां, परगना- लखनऊ, तहसील- सरोजनीनगर, जनपद- लखनऊ की वर्तमान खतौनी की खाता सं०- 138 पर दर्ज गाटा सं०- 866/0.776 हे०, खाता सं०- 137 पर दर्ज गाटा संख्या 864/1.232 हे०, खाता सं०- 136 पर दर्ज गाटा सं०- 791/1.991 हे०, 783/0.107 हे०, 784/0.5 खाता सं०- 133 पर दर्ज गाटा सं०- 790/0.202 हे० व खाता सं०- 135 पर दर्ज भूमि गाटा सं०- 792ख/0.061 हे० पर आवेदक मनोज सिंह चौहान पुत्र विश्वनाथ सिंह आदि, नि० ग्राम- सरसवां के नाम बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। पत्र में अंकित गाटा संख्या- 867/0.126 हे० खाता सं०- 708 पर सरजूदेई पत्नी राम औतार आदि, नि० भगुनगंज के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। गाटा सं०- 867/0.126 हे० आदेश उपजिलाधिकारी/सहा० कले० (प्र०श्रे०) सदर लखनऊ वाद सं०- 301/08-09, सरजूदेई बनाम उ०प्र० सरकार, धारा- 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित है, जिसका आदेश संलग्न खतौनी पर अंकित है। उक्त गाटे के भू-स्वत्व के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा बैनामे की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि साथ में संलग्न है। जिसे अनुसार आवेदक द्वारा विक्रेता श्रीमती गुड्डा उर्फ गुड्डा देवी पत्नी स्व० ओमप्रकाश पुत्री रामदीन से सम्पूर्ण अंश का क्रय किया गया है। प्रस्तावित भूमि उक्त गाटों में से गाटा सं०- 784, 790, 791 864, 866, 867 के जुज भाग पर स्थित है। उक्त गाटों के बंटवारे के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) लखनऊ के मूलवाद सं०- 2218/2021 के आदेश की छायाप्रति साथ में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है। प्रस्तावित भूमि में ग्राम समाज, बंजर आदि की भूमि शामिल नहीं है। उक्त गाटों की जो० चक० आ० फार्म 41 व 45 की छायाप्रति साथ में संलग्न है। ग्राम- सरसवां वर्तमान में नगरनिगम लखनऊ की सीमा के अन्तर्गत ग्राम है। अतः नगरनिगम से अनापत्ति आवश्यक है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

संलग्नक :-

1. खतौनी।
2. CH- 41 व 45।
3. मौके के फोटोग्राफ (भूराजलेखीकरण सहित)
4. गाटा सं०- 867 के बैनामे की छायाप्रति।
5. सिविल न्यायालय के आदेश की छायाप्रति।

विवेक बहादुर सिंह
लेखपाल ग्राम सरसवां
तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ
दिनांक 10/03/2024

(हस्ताक्षर) 16-3-2024

शिव प्रकाश श्रीवास्तव
राजस्व निरीक्षक
तह0 सरोजनी नगर लखनऊ

महोदय,
ग्राम सरसवां का खसरा सन् 1359 फ० में गाटा सं० 1196 क्षेत्रफल 2-9-0-0 (भीटा), 1197 क्षेत्रफल 0-11-0-0 (भीटा) राम किशोर 1180 क्षेत्रफल 5-12-0-0

(हस्ताक्षर)

.... P.T.O

(बीघा) बाग, 1194 क्षेत्रफल 0-15-0-0 (बीघा) लादिमन 1195 क्षेत्रफल
2-11-0-0 (बीघा) नरसिंह प्रसाद, 1200 क्षेत्रफल 0-4-0-0 (बीघा)
दुरगा, 1201 क्षेत्रफल 1-9-0-0 (बीघा) शिव परसाद सिंह, 1202
क्षेत्रफल 0-3-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह, 1203 क्षेत्रफल 0-9-0-0 (बीघा)
गदा सिंह, 1204 क्षेत्रफल 1-3-0-0 (बीघा) शिवप्रसाद सिंह 1205 क्षेत्रफल
0-13-0-0 (बीघा) मुनेश्वर सिंह, 1206 क्षेत्रफल 0-1-0-0 (बीघा) शिव परसाद
सिंह, 1207 क्षेत्रफल 0-9-0-0 (बीघा) शिव नरायन सिंह 1210 क्षेत्रफल
नरायन व रूपचन्द, 1211 क्षेत्रफल 2-7-0-0 (बीघा) नरसिंह परसाद दर्ज है।
आख्या सेवा में प्रेषित है।

विजय प्रताप कुमार सिंह
सं० रा० नि० कार्यालय
16-3-2024

<u>नोट</u>:- प्रस्तावित गाटे में से गाटा सं०-864/1.232 हे० व गाटा सं०-866/0.776 हे० के सम्बन्ध में जो० च० आकार पत्र-45 के खाता सं०-88 पर सीलिंग के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेन्च लखनऊ याचिका सं०-5830/1988 / 18.8.88 के क्रम में आदेश दर्ज है। उक्त याचिका/वाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय की प्रति अपेक्षित है।

(हस्ताक्षर) लेखपाल 04/04/2024

अग्रसारित
(हस्ताक्षर) 04/04/2024
तहसीलदार
सरोजनी नगर, लखनऊ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

एएआई/आर.एच.क्यू/एन आर/एटीएम/एनओसी/2024/248/939-942

मालिक का नाम एवं पता **OWNERS Name & Address**	ORO Real Infra LLP 8th Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow 226010	**दिनांक/DATE:** **वैधता/ Valid Up to:**	05-04-2024 03-04-2032

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है ।
1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है I
2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	LUCK/NORTH/B/032324/955282
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Bimal Kumar Srivastava
स्थल का पता / Site Address*	Khasra No. 784P, 790P, 791P,792KhaP,864P,866P and 867 Village-Saraswan, Tehsil-Sarojni Nagar, District-Lucknow-226002,Sarjni Nagar,Lucknow,Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	26 48 16.12N 80 59 30.42E, 26 48 15.57N 80 59 32.88E, 26 48 12.35N 80 59 33.37E, 26 48 13.67N 80 59 34.43E, 26 48 20.06N 80 59 34.82E, 26 48 14.00N 80 59 35.36E, 26 48 10.75N 80 59 35.72E, 26 48 14.32N 80 59 35.76E, 26 48 19.14N 80 59 36.31E, 26 48 12.36N 80 59 38.24E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	112.54 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	262.54 M

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

*** जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant***

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है | भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है | यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी | सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी ।
a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।
c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी | अर्थात, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई |
d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 , के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है ।
e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरैस्टर, सीढ़िया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए ।
f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए ।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो । विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी|

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरूद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा ।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट । सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी ।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Lucknow विमानक्षेत्रो के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रो और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रो, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है ।

m. This NOC ID has been assessed with respect to theLucknow Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule – III, Schedule – IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

क्षेत्र का नाम / Region Name: उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	U. D. Baruah 05/04/24 उत्पल दत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH महाप्रबंधक (एटीएम)/General Manager (ATM) उत्तरी क्षेत्र/ Northern Region भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India एन.ए.टी.एस.काम्प्लेक्स/इं.गा.अं हवाई अड्डा,नई दिल्ली-37 NATS Complex/IGI Airport, New Delhi-37
द्वारा तैयार Prepared by	05/04/2024 Narendra ..., AGM (ATM)
द्वारा जांचा गया Verified by	05/04/2024 Yashwant Sharan Jt.GM(ATM)

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर मे)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री
Lucknow	11759.76	66.36
NOCID	LUCK/NORTH/B/032324/955282	

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/032324/955282

Street View

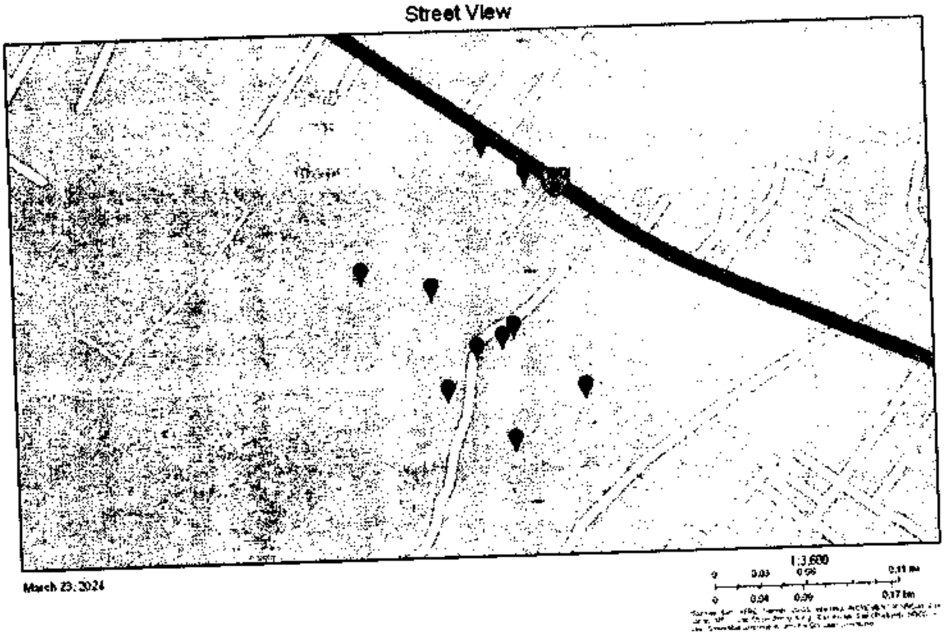

Satellite View

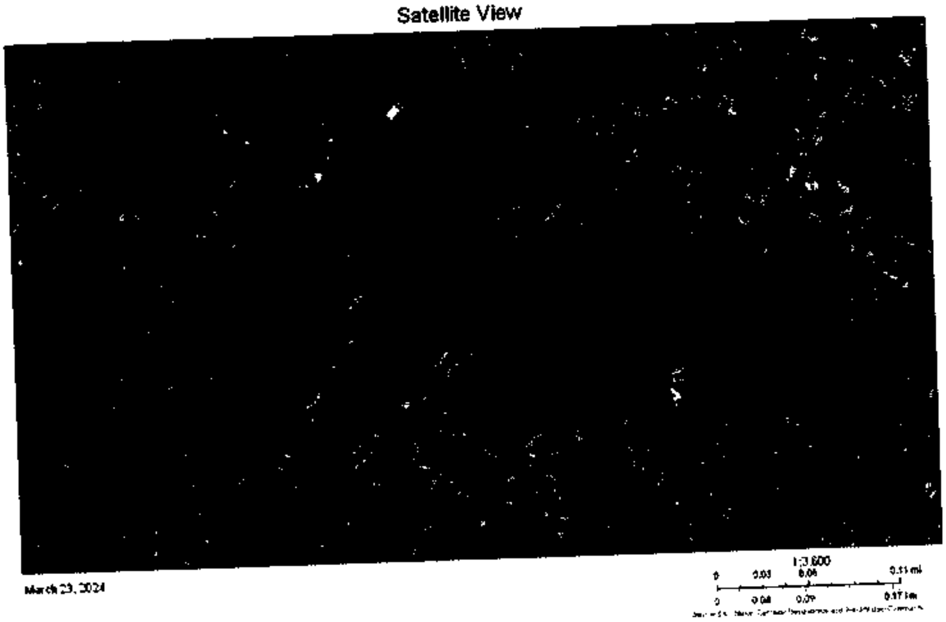

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आपत्ति रहित / आपत्ति जनक / सूचना–पत्र

भवन विभाग से प्राप्त किये गये भवन चित्र पर सीलिंग विभाग की आख्या

पत्रांक– LDA/BP/21-22/2499/NOC

दिनांक–21.01.2022

क(1)	जिस भूमि पर निर्माण प्रस्तावित, सीलिंग भूमि है या नहीं ?	नहीं
क(2)	आवेदक का नाम व पता	श्री मनोज सिंह चौहान खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम–सरसवॉं, सरोजनी नगर, लखनऊ।
ख	भूमि का नियोजित प्लाट संख्या क्षेत्रफल तथा योजना वर्ष	खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर, ग्राम–सरसवॉं, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ।
1.	भूमि के लीज की तिथि तथा पट्टेदार का नाम	X
2.	भू–हस्तान्तरण की दशा में भूमि के विक्रय की तिथि तथा केता का नाम	X
3.	लीज का प्रयोजन आवासीय / वाणिज्यिक / शैक्षिक अथवा अन्य	X
4.	लीज पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल	X
5.	क्या लीज का रिनीवल होना था, रिनीवल हुआ या नहीं, यदि रिनीवल हो गया हो तो किन नामों से तथा कब हुआ?	X
6.	लीज भूमि का किराया कब तक का जमा है?	X
7.	लीज की भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति है या नहीं?	X
8.	क्या लीज पर पहले से भवन निर्मित है? तो क्या प्रस्तावित निर्माण उससे अलग है तथा क्या ऐसी अनुमति पट्टे में है?	X
9.	पट्टे में भवन निर्माण कितनी अवधि में पूर्ण करा लेने की शर्त थी? जो निर्माण प्रस्तावित किया जा रहा है वह निर्धारित अवधि के अन्दर है या नहीं?	X
ग–	अनापत्ति	"सूचना–पत्र" खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम–सरसवॉं, तहसील–सरोजनी नगर, जनपद–लखनऊ, क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर, अर्बन सीलिंग भूमि नहीं है।

डिस्पैच नम्बर 118/ल0वि0 सीलिंग/22 दिनांक 27/4/22

18/4/22

विपिन कुमार मिश्रा
लेखपाल (सीलिंग)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

26/4/22
आशुतोष शुक्ल
लेखपाल सीलिंग अनुभाग
ल0वि0प्रा0

26/04/22
श्रद्धा चौधरी
तहसीलदार सीलिंग अनुभाग
ल0वि0प्रा0

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, नजूल अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। संख्या : 57/LDA-नजूल/22 दिनाँक : 02/03/2022	सेवा में, श्री मनोज सिंह चौहान, खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम–सरसवॉ, लखनऊ।

: **विषय** :

भवन मानचित्र हेतु आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आनलाइन प्रस्तुत पत्र संख्या–LDA/BP/21-22/2499/NOC दिनांक 08.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 ग्राम–सरसवॉ, लखनऊ पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु नजूल विभाग से आपत्ति/अनापत्ति चाही गयी है।

अवगत कराना है कि विभागीय अभिलेखानुसार मानचित्र हेतु प्रस्तावित ग्राम–सरसवॉ, लखनऊ की खसरा संख्या–784(भाग), 790, 791 792ख, 864, 866, 867 क्षेत्रफल 16,489.89 वर्गमीटर भूमि नजूल नहीं है। अतः मानचित्र स्वीकृत किये जाने में नजूल विभाग को आपत्ति नहीं है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

28.2.22

(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियंता, मानचित्र सेल को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द त्रिपाठी)
नजूल अधिकारी

जलकल विभाग

नगर निगम , लखनऊ – 226001

प्रेषक :	सेवा में ,
अधिशासी अभियन्ता, जोन–प्रथम जलकल विभाग, नगर निगम, लालबाग, लखनऊ। संख्या 1979/[illegible]/JKVNN दिनॉक 4/3/2023	अधिशासी अभियन्ता मानचित्र सेल, लखनऊ विकास प्राधिकरण ,नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–एल0डी0ए0 / बी0पी0 / 21–22 / 2499 / एन0ओ0सी0, दिनांक 22.01.2022, के द्वारा MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW, पर प्रस्तावित भवन मानचित्र की अनापत्ति दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके कम में अवगत कराना है कि MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW, जलकल विभाग की पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क आदि देय नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत किये जाने में जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि यदि भविष्य में स्थल के पास पेयजल एवं सीवर लाइन पड़ जाने के उपरान्त उपभोक्ता द्वारा संयोजन की मॉग की जाती है, तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ में विकास शुल्क इत्यादि देय होगा।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता–1
जलकल विभाग नगर निगम
लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता-1
जलकल विभाग नगर निगम, लखनऊ

पृ0सं0 ______ ______ दिनांक ______

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. MANOJ SINGH CHAUHAN, KHASRA NO-790, 791, 792kha, 864, 866, 867, PART LAND OF KHASRA NO-784, VILLAGE- SARSAWAN, TEHSIL-SAROJNI NAGAR, LUCKNOW ।

अधिशासी अभियन्ता–1
जलकल विभाग नगर निगम
लखनऊ